।। कार्यालय ज्ञाप ।।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम 5(1) व 5 (2) के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किये जाने की व्यवस्था है। तत्क्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 4083–85/नि0प्रा0शि0 स्था0–08/2017–18 दिनांक 28.03.2018 द्वारा विभागान्तर्गत 'राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं' तथा संख्या 4086–88/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2017–18 दिनांक 28.03.2018 द्वारा 'राज्य स्तरीय कार्यालय' की प्रास्थिति के क्रम में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया गया था।

पुनः वर्ष 2021–22 में पालीटेक्निक संस्थाओं की प्रास्थिति के क्रम में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9959–63/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2020–21 दिनांक 26.03.2021 द्वारा 'राज्य स्तरीय कार्यालय' एवं अधीनस्थ 'राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं' हेतु सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 984–88/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2022–23 दिनांक 17.05.2022 द्वारा 'राज्य स्तरीय कार्यालय' एवं अधीनस्थ 'राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं' हेतु सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया गया, तदोपरान्त आदेश संख्या 1357–62/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2022–23 दिनांक 31.05.2022 द्वारा चिन्हित किये गये सुगम–दुर्गम क्षेत्र को दिनांक 17.05.2022 से आगणित किये जाने तथा उपरिसन्दर्भित आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा उक्त तिथि के पूर्व की प्रास्थिति के अनुसार ही दिनांक 17.05.2022 से पूर्व की सेवाओं को सुगम–दुर्गम में आगणित किये जाने के संदर्भ में संशोधन आदेश जारी किया गया।

विभिन्न कार्मिकों/प्रधानाचार्य द्वारा वर्तमान सत्र 2023–24 में सुगम–दुर्गम की प्रास्थिति परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन निदेशालय में प्राप्त हुए हैं, उनके भली–भांति परीक्षण करने हेतु निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 181–87/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2022–23 दिनांक 12.03.2023 के द्वारा एक कमेटी गठित की गयी। कमेटी द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय पालीटेक्निक भीमताल को छोड़कर अन्य सभी कार्मिक/प्रधानाचार्य से प्राप्त प्रत्यावेदनों को अतार्किक एवं बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

अतः राजकीय पालीटेक्निक भीमताल को संस्था की वर्तमान प्रास्थिति के दृष्टिगत आदेश जारी होने की तिथि से दुर्गम घोषित किया जाता है, अन्य शेष संस्थायें एवं अधिष्ठान पूर्व आदेशों के क्रम में यथावत् सुगम–दुर्गम रहेंगी।

(आर0पी0गुप्ता)
निदेशक।

पृ0सं0– 733–38/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2023–24 दिनांकः मई 03 , 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवगतनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रूड़की।
3. संयुक्त सचिव, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
4. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय पाली0/महिला पाली/ग्रामीण पाली0 उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा प्रधानाचार्य।
6. गार्ड फाईल।

(आर0पी0गुप्ता)
निदेशक।